प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज, उ.प्र.।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या–4 / 202 / 2018–4 / लूज / 2017 लखनऊ दिनांक 11 अप्रैल, 2018

विषय : सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के पूर्ण अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री विवेक अवस्थी, अधिशासी निदेशक, उ.प्र. वॉलन्टरी हैल्थ, एसोसिएशन, गोमती नगर, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या–यूपीवीएचए / टी.सी.पी. / 2018, दिनांक 16 फरवरी, 2018 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 12 लाख लोगों की मृत्यु तम्बाकू जनित रोगों जैसे कैंसर तथा ह्रदय रोग आदि से होती हैं। धूम्रपान एवं तम्बाकू सेवन से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो कैंसर तथा अन्य गम्भीर बीमारियों का प्रमुख कारण है। इसके सेवन से लोग आकस्मिक मृत्यु तथा अपंगता के शिकार भी हो जाते है, जिसके बचाव हेतु जनपद स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारियों को उक्त योजना से लाभान्वित करने के लिए जनसमुदाय में जागरूकता लाने का अनुरोध किया गया है।

अतः श्री विवेक अवस्थी, अधिशासी निदेशक, उ.प्र. वॉलन्टरी हैल्थ, एसोसिएशन, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र संख्या–यूपीवीएचए / टी.सी.पी. / 2018, दिनांक 16 फरवरी, 2018 संलग्नकर निर्देशित किया जाता है कि सिगरेट एवं तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के अनुसार तम्बाकू सिगरेट जैसे हानिकारक लत से जनसमुदाय को बचाने व तम्बाकू उत्पाद के उपयोग को रोकने के लिए जागरूक करने हेतु विभागीय समीक्षा बैठकों में अधिशासी निदेशक, उ.प्र. वॉलन्टरी हेल्थ एसोसिएशन, गोमती नगर, लखनऊ की सहभागिता सुनिश्चित करायें।

संलग्नक–उक्तानुसार।

भवदीय,

(आकाश दीप)
निदेशक,
पंचायती राज, उ.प्र.।

प्रेषित
11-4-2018

संख्या–4 / 202 / 1 / 2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि –श्री विवेक अवस्थी, अधिशासीनिदेशक, उ.प्र. वॉलन्टरी हैल्थ, एसोसिएशन, गोमती नगर, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या–यूपीवीएचए / टी.सी.पी. / 2018, दिनांक 16 फरवरी, 2018 के क्रम में सूचनार्थ।

2. राज्य नोडल अधिकारी, राज्य तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम उ0प्र0।

(आकाश दीप)
निदेशक,
पंचायती राज, उ.प्र.।

4/202/2018

फोन 0522-2725586
ई-मेल upvhalko@gmail.com
upvha_lko@yahoo.com
वेबसाइट www.upvha.org

उत्तर प्रदेश वॉलन्टरी हैल्थ एसोसिएशन

5/459, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

सन्दर्भ संख्या यूपीवीएचए/टी.सी.पी. /196 /2018

दिनांक 16 फरवरी 2018

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त सार्वजनिक स्थानों व शैक्षणिक संस्थानों के परिसर को धूम्रपान मुक्त बनाने एवं तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा 4, 6अ व 6ब के पूर्ण परिपालन के संदर्भ में।

आदरणीय महोदय,

उ0प्र0 वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ की हार्दिक शुभकामनायें।

आपको सानुरोध अवगत कराना है कि उ0प्र0 वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ स्वैच्छिक संस्थाओं का एक साझा मंच है जो विगत 33 वर्षो से उत्तर प्रदेश के सुदूर व दुर्गम स्थानों तक स्वय व अपनी सदस्य संस्थाओं के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य व विकास सम्बन्धी सेवायें प्रदान करने हेतु कार्य कर रहा है। संस्था द्वारा विगत् 8 वर्षो से दी यूनियन और राजकीय तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के साथ मिलकर राज्य में तम्बाकू नियंत्रण के लिए कोटपा--2003 के पूर्ण परिपालन हेतु प्रयास किया जा रहा है। इसी कम में विगत् वर्षो में जनसमुदाय को जानलेवा बीमारी से बचाने के उद्देश्य से संस्था के अनुरोध पर विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गये शासनादेशों की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित हैं।

उपर्युक्त विषयक सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 की धारा–4, 6अ व 6ब का विवरण निम्नवत् है :

धारा–4 : धारा 4 के अन्तर्गत सभी सार्वजनिक स्थान जैसे– शिक्षण संस्थान, शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शामिंग माल, काफी हाउस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेलवे स्टेशन, सिनेमाहाल, सभागृह, एअरपोर्ट, प्रतीक्षालय, बस स्टाप, लोक परिवहन, टी स्टाल, मिष्ठान भण्डार एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबन्धित है, और इन स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर रू0 200/– तक जुर्माने का प्राविधान है।

धारा–6अ : इस धारा के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की/के व्यक्ति द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबन्धित है, इस धारा का उल्लंघन करने वालों पर भी रू0 200/– तक जुर्माने का प्राविधान है। इस नियम के तहत नाबालिकों द्वारा तम्बाकू उत्पादों की बिकी नहीं की जाय।

धारा–6ब : उक्त धारा अन्तर्गत प्रत्येक शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों का विक्रय करना प्रतिबन्धित है। इस सम्बन्ध में प्रत्येक विद्यालय परिसर की बाहरी दीवार/चहारदीवारी/सीमा पर बाहर की ओर सहज दृश्य स्थान पर एक चेतावनी बोर्ड (वाल पेंटिंग) किया जाना अनिवार्य है।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आप अपने स्तर से प्रदेश के समस्त क्षेत्र पचायत एवं जिला पंचायत को उपरोक्त विषयक सम्बन्धित शासनादेश जारी करने की कृपा कर जनसमुदाय को इस भयावह जानलेवा बीमारी से बचाने की कृपा करें। साथ ही आपसे यह भी अनुरोध है कि पंचायती राज की विभागीय समीक्षा बैठक में हमे कुछ समय देने की कृपा करें, जिससे जिला पंचायत राज्य अधिकारियों को उपरोक्त विषय पर संविदित किया जा सके।

सादर अनुरोध सहित।

भवदीय,

(विवेक अवस्थी)
अधिशासी निदेशक
Mob- 9415182514

1715
DD (HQ)(B)
19/2/18

693-4

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित : संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य/राज्य नोडल अधिकारी, राज्य तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश।

20/2/18
DD(P)

13/3/18